



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प0 1(19)एमई/गुप-1/17 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14/12/2020

आदेश

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के प्रस्तावनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार व नियत मानदेय पर आदेश जारी होने की तिथि से 3 माह अथवा नियमित रूप से पद भरे जाने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	विशिष्टता	जन्म तिथि
1.	Dr. Suresh Kumar Lakhara S/o Sh. Ghanshyam Lal	सहायक आचार्य	ट्रांसप्युजन मेडिसिन विभाग	02.01.1987
2.	Dr. Abha Gupta S/o Sh. Vipin Gupta	वरिष्ठ प्रदर्शक	रेडियोलोजिकल फिजिक्स	17.04.1996

उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं आयु संबंधी योग्यता/पात्रता की शर्तें पूरी करने पर ही प्रभावी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यक्षीन होगी। इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से दस दिवस में अपने पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। यह नियुक्ति राजस्थान मेडिकल सर्विस (कॉलेजियेट ब्रांच) रूल्स, 1962 के नियम-30 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,
14/12/2020
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
3. संबंधित अभ्यर्थी जरिये प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

14/12/2020
(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन वरि. उप सचिव